भारत स्काउट–गाइड म.प्र. के समस्त पदाधिकारियों हेतु

राज्य परिषद निर्वाचन 2015 हेतु प्रस्तावित आचरण नियम (Code of Conduct)

दिनांक 16 जून 2015 की राज्य कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित

भारत स्काउट एवं गाइड एक स्वयं सेवी गैर राजनैतिक प्रजातांत्रिक संस्था है जो बच्चों को सुनागरिकता की शिक्षा देती है। इस संस्था को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचन कराये जाते है। इन निर्वाचन को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से संचालित करने के लिए निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के लिए आचरण नियमों की आवश्यकता होती है ताकि गरिमामयी ढंग से शांति पूर्ण वातावरण में निर्वाचन सम्पन्न हो सके अभी तक इस तरह के आचरण नियमो Code of Conduct का प्रावधान राज्य स्तर पर नही किया गया था। इस बार राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के निर्वाचन में प्रचलित आचार संहिता को आधार मानकर राज्य परिषद म.प्र. के निर्वाचन हेतु तैयार की गई है।

भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के मूल्यों को बनाये रखने के लिए संस्था के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के लिए आचरण नियम (Code of Conduct) की आवश्यकता को देखते हुए आचरण नियम निर्धारित किये गये है। इन नियमों का पालन करना सभी प्रत्याशियों के लिए आवश्यक होगा जो प्रत्याशी निम्न नियमो का पालन नही करेगा उनके निर्वाचन को अवैध घोषित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। उक्त आचरण नियमो का पालन सुनिश्चित कराना निर्वाचन अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। राज्य परिषद के निर्वाचन हेतु Code of Conduct निम्नानुसार है –

1. प्रत्याशी चरित्रवान होना चाहिए तथा सामाजिक कार्यो में रूचि एवं सेवाभाव की भावना रखता हो।
2. प्रत्याशी को स्काउटिंग का बेसिक ज्ञान होना चाहिए एवं स्काउट नियमों एवं प्रतिज्ञा को मानने वाला संस्था का सदस्य होना चाहिए।
3. प्रत्याशी को किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नही होना चाहिए एवं न्यायालय में कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित नही होना चहिए।
4. प्रत्याशी द्वारा किसी भी मतदाता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नगद के रूप में यात्रा टिकिट अथवा रूकने की व्यवस्था आदि मतदान करने के लिए नही करना चाहिए।
5. प्रत्याशी द्वारा मौखिक एवं लिखित में न तो कोई ऐसी भाषा बोलनी चाहिए और न ही ऐसा पत्राचार करना चाहिए जो अन्य प्रत्याशी के लिए अपमानजनक हो, जिससे संस्था की बदनामी हो।
6. प्रत्याशी को स्वयं एवं अपने किसी भी सर्मथक को अपने पक्ष में किसी भी प्रकार के ऐसे पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित नही करना चाहिए जो किसी अन्य प्रत्याशी के लिए अपमानजनक एवं आपत्तिजनक हो।
7. किसी भी प्रत्याशी को ऐसे पोस्टर राज्य मुख्यालय के सामने चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का न तो प्रचार–प्रसार करना चाहिए और न ही पम्पलेट प्रचार–प्रसार के लिए वितरित करना चाहिए।
8. प्रत्याशी को भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. के नियम और निर्देशों का पालन करते हुए निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन कराने में सहयोग प्रदान करना चाहिए।
9. प्रत्याशी को अपने सर्मथको के साथ मतदान एवं मतगणना के दौरान अन्य प्रत्याशियों एवं निर्वाचन अधिकारी से अनुशासित व्यवहार करना चाहिए किसी भी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी के साथ अपमान जनक व्यवहार नही करना चाहिए।
10. प्रत्याशी एवं उनके समर्थको को निर्वाचन स्थल पर शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करते हुए किसी के साथ किसी भी प्रत्याशी एवं मतदाता के साथ उत्तेजक रिर्माक टीका टिप्पडी या मौखिक बातचीत नही करनी चाहिए किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया में आपत्ति होने पर लिखित में आवेदन निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

11. प्रत्याशी एवं उनके समर्थको द्वारा किसी अन्य प्रत्याशी या उनके समर्थक को धमकी देना दुर्व्यवहार करना, नकारात्मक टीका टिप्पडी करना एवं उसके चरित्र हनन का प्रयास करना, लिखित एवं मौखिक रूप में पूर्णतः आपत्तिजनक होगा।

12. कोई भी प्रत्याशी अपने 1 समर्थक के अतिरिक्त समर्थको की भीड के साथ राज्य मुख्यालय परिसर में पूरे निर्वाचन के दौरान उपस्थित नही होगा।

13. प्रत्याशी का उनके समर्थकों द्वारा किसी भी मतदाता को किसी भी होटल, गेस्ट हाउस में रूकने की व्यवस्था करना, रेल, बस तथा जीप का किराया भुगतान एवं गिफ्ट तथा खाना खिलाने की व्यवस्था नही करना चाहिए, साथ ही उनकी सुविधानुसार किसी को भी शराब वितरण आदि में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

14. निर्वाचन के दौरान कोई भी प्रत्याशी या उसका समर्थक किसी प्रकार की नकारात्मक अपील जिसमें इशारो में दूसरो (प्रत्याशी) या समर्थक को अपमानित करने एवं बेइज्जति करने के शब्द का प्रयोग हो वितरित करने पर प्रतिबंध होगा।

15. राज्य मुख्यालय के 500 मीटर दोनो तरफ एवं सामने किसी भी प्रत्याशी द्वारा कोई भी टेन्ट, कुर्सी, बैनर, पोस्टर, लाउड स्पीकर लगाया जाना एवं समर्थक की भीड में खडा रहना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

16. संस्था में में कार्यरत कोई भी नियमित/संविदा कर्मचारी राज्य परिषद के निर्वाचन में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से भाग नही लेगा यदि किसी भी कर्मचारी को निर्वाचन में शामिल पाया जाना सिद्ध पाया जाता है तो उसके विरूद्ध तत्काल कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु राज्य सचिव सक्षम होंगे।

17. उक्त आचरण नियम (Code of Conduct) प्रथम अधिसूचना जारी होने से निर्वाचन समाप्त होने तक लागू होगा।

18. उक्त आचरण नियमों का उल्लघन जॉच मे सिद्ध पाये जाने पर निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशी की उम्मीदवारी समाप्त कर सकता है।

<u>राज्य कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित</u>

राज्य सचिव
एवं
निर्वाचन अधिकारी
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.